अवर न्यायाधीश
सोनपुर सारण।

उत्तराधिकार वाद सं0– 01 सन् 2018

1. मुस्मात गोविन्द देवी
2. मीता देवी
3. गुड़िया देवी
4. राजेश महतो
5. रमेश कुमार.....वादीगण

बनाम

स्टेट ऑफ स्व0 राम सेवक महतो.....प्रतिवादी

दिनांकः–
13.11.2019

आवेदकगण की तरफ से हाजिरी दी गई। अभिलेख को साक्ष्य हेतु प्रस्तुत किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा यह वाद भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अंतर्गत दाखिल किया गया है जिसमें आवेदकगण का कहना है कि राम सेवक महतो जो हृदय रोगी थे उनका देहांत दिनांक 14.07.2017 को पटना के इंदरा गांधी हृदय संस्थान में हो गया था और उनका निवास स्थान पहलेजा , साहबपुर दियरा, थाना– सोनपुर, जिला– सारण है, जो कि इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है। एवं मृतक के द्वारा छोड़ी गई संपत्ति भी इसी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में अवस्थित है और आवेदकगण मृतक के वारिसान हैं और आवेदकगण के अलावे कोई और वारिसान मृतक के नहीं हैं और इस आवेदन के साथ मृतक के मृत्यु

प्रमाण पत्र भी दाखिल किया गया है।

आवेदकगण का आगे कथन है कि मृतक की संपत्तियों के वे जायज वारिस हैं और उन्हें उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्रदान किया जाना चाहिए एवं उन्हें किसी अन्य न्यायालय में उत्तराधिकर प्रमाण पत्र हेतु कोई अन्य आवेदन पत्र दाखिल नहीं किया है।

अनु0 A-

<u>देनदारियां</u>

1. मृतक के इलाज में हुए खर्चे – 10,000/– रूपये।

2. मृतक के श्राद्ध कर्म में हुए खर्च– 25,000/– रूपये।

सिडियुल– B

1- खाता सं0– 224891854, शाखा– गोला बजार, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कुल जामा रकम– एक लाख 94 हजार 8 सौ 95 रूपया।

2. श्राद्ध कर्म में हुए अन्य खर्च– 35,000/– रूपये।

शेष रकम एक लाख 59 हजार, आठ रूपये 96 पैसे।

आवेदकगण के द्वारा अपने दावे के समर्थन में 2 साक्षियों का साक्ष्य कराया गया जिसमें साक्षी सं0 1 मु0 गोविन्दा देवी हैं।

साक्षी का कहना है कि वह वर्तमान वाद में आवेदक सं0 1 हैं तथा आवेदक सं0 2 से लेकर 5 तक उसके

पुत्र एवं पुत्रियां हैं एवं उसने इस मुकदमे में पैरवी करती है। उसका आगे कथन है कि उसके पति राम सेवक महतो जो हृदय रोग से पीड़ित थे उनकी मृत्यु इंदरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना में दिनांक 18. 07.2017 हो गया एवं वे अपने पीछे आवेदक एवं दो पुत्र एवं दो पुत्रियों को छोड़कर स्वर्गवासी हो गए। एवं आवेदक मृतक राम सेवक महतो की विधवा की हैसियत से उसके पति द्वारा शाखा– गोला बजार, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सोनपुर में जमा किए गए राशि को प्राप्त करने के लिए उपरोक्त उत्तराधिकार का वाद दाखिल की है ताकि उसे बैंक में जमा किए गए पैसे प्राप्त हो सके। आवेदक का आगे कथन है कि उसने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र न्यायालय में दाखिल किया है एवं उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु सक्सेशन ड्यूटी शुल्क भी न्यायालय में दाखिल किया है।

साक्षी सं0 2 राजेश महतो का कहना है कि वह मुकदमे में आवेदक सं0 4 हैं एवं आवेदिका उसकी मां हैं एवं अन्य आवेदक उसके भाई एवं बहन हैं। साक्षी का आगे कथन है कि उसकी दोनों बहने जो वर्तमान वाद में आवेदक सं0 2 एवं 3 हैं अपने ससुराल में रह रही है एवं आवेदक सं0 5 जो उसका छोटा भाई है उसके एवं मां के साथ ही रहते हैं। साक्षी का आगे कथन है कि उनके पति की मृत्यु दिनांक 14. 07.2017 को हो गया था एवं उसके पति ने शाखा– गोला बजार, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सोनपुर में एक लाख 94 हजार 805 रूपये जमा किए थे जिसको प्राप्त करने का हकदार वे लोग हैं। अतः उनके मां के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किया जाना आवश्यक है।

आवेदिका की तरफ से उसके पति राम सेवक महतो का

मृत्यु प्रमाण पत्र दाखिल किया गया है जो इस वाद में प्रदर्श सं0 1 हैं इसके अतिरिक्त अंचल कार्यालय, सोनपुर के द्वारा निर्गत सदस्यता प्रमाण पत्र जो दिनांक 22.11.2017 को अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत किया गया है उसकी छायापति दाखिल की गई है एवं इसके अतिरिक्त शाखा– गोला बजार, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सोनपुर में राम सेवक महतो के नाम से जारी किया गया पासबुक की छायाप्रति दाखिल की गई है।

अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि मृतक राम सेवक महतो वादिनी के पति थे। अतः वादिनी के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र (सक्सेशन प्रमाण पत्र) निर्गत करने का आदेश दिया जाता है।

सब जज
सोनपुर, सारण।